

राजस्थान सरकार

(H)

2




रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 82/सीकर/1991-92

यह प्रमाणित किया जाता है कि आर्य शिक्षा निकेतन
संस्था, डौलतपुरा जिला सीकर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से प्राप्त
दिनांक दरबिस माह फरवरी सन् एक हजार नौ सौ को
बानवे

सीकर में दिया गया।



रजिस्ट्रार संस्था

आर्य शिक्षा
निकेतन